कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 1207 / FP/UK/WATER/18415/2016 देहरादूनः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना के निर्माण हेतु आपेक्षित हेतु 0.4268 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम पंचायत नौगांव उत्तराखण्ड़ पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**
(ऑनलाईन फाईल सं0 FP/UK/WATER/18415/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि **जनपद– उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना के निर्माण हेतु आपेक्षित हेतु 0.4268 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम पंचायत नौगांव को 15 वर्षो की लीज** पर दिये जाने का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मॉग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की गई है। चूँकी प्रश्नगत परियोजना का निर्माण ग्राम वासियों हेतु जलपूर्ती करने के लिये व्यापक जनहित में किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 1.00 है0 से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नही आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नही है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 13–02–2014 के द्वारा 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल वाली कतिपय परियोजनाओं जिसमें पेयजल से सम्बन्धित परियोजनाओं सम्मिलित है में स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। **(संलग्न–1)** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24–04–2008 एवं आदेशदिनांक 09–05–2008 तथा तत्कम में भारत सरकार के पत्रांक– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 **(संलग्न–2)** के द्वारा कतिपय परियोजनाओं हेतु एन0पी0वी0 के देयता से छूट प्रदान की गई ही है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टीगत जनपद– **जनपद– उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड़ नौगांव के अन्तर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना के निर्माण हेतु आपेक्षित हेतु 0.4268 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम पंचायत नौगांव को 15 वर्षो की लीज के** प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / **FP/UK/WATER/18415/2016** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड़ नौगांव के अन्तर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना के निर्माण हेतु आपेक्षित हेतु 0.4268 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उत्तराखण्ड़ पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन फाईल सं0 **FP/UK/WATER/18415/2016)**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु 0.4268 है0 आरक्षित वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त पेयजल योजना निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः विषयगत पेयजल योजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 11–9/98–FC दिनांक 13–02–2014 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत लीज नीति दिनांक 09–09–2005 में अधिरोपित शर्तो के अनुसार प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Addl. P.C.C.F./N.O.
Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहरः

तिथि 04/10/2017

स्थान : देहरादून